

प्रसार भारती  
भारत का लोक सेवा प्रसारक  
दूरदर्शन केंद्र जालंधर -144001

सं. 37(8)2020-21/ए-III/जल

दिनांक: 09/9/2020

दूरदर्शन की वेबसाइट पर।

विषय: कुशल, अ-कुशल व्यक्तियों को प्रदान करने के लिए उद्धरण।

-----  
श्रीमान जी,

कृपया निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर कुशल, अ-कुशल व्यक्तियों और कंपनी के शुल्क प्रदान करने के लिए दिनांक 21/9/2020 समय 1500 बजे तक अपने उद्धरण प्रस्तुत करें:

- 1) भुगतान लेबर कमिश्नर पंजाब / केंद्र द्वारा वर्तमान अनुमोदित दरों के अनुसार किया जाएगा, जो अधिक होगा।
- 2) फर्मों के पास अपना GST नंबर होना अनिवार्य है।
- 3) फर्म को हर महीने श्रमिकों का EPF/ESI आदि योगदान EPF/ESI विभाग में जमा करवा कर कार्यालया को सूचित करना होगा।
- 4) अनुमोदित फर्म हर महीने श्रमिकों के खाते में जमा ईपीएफ के बारे में इस केंद्र को रिकॉर्ड देने के लिए उत्तरदायी होगी।
- 5) स्वीकृत फर्म चिकित्सा सुविधा के लिए श्रमिकों को ईएसआई कार्ड की व्यवस्था करेगी।
- 6) ईपीएफ / ईएसआई आदि सरकारी नियमों के अनुसार होंगे।
- 7) प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

उद्धरण को डाक के तहत भेजा जाना चाहिए। लिफाफे के बाहर यह लिखना जरूरी है।

क) गैर-कुशल / कुशल व्यक्तियों के लिए उद्धरण।

b) इस पत्र की संदर्भ संख्या।

c) कोटेशन खोलने की नियत तारीख।

कोटेशन खोलने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य रहेगा।

ठेकेदारों या उनके एजेन्टों की उपस्थिति में कोटेशन दिनांक 21/9/2020 को 1530 बजे खोली जाएंगी।

आपका आभारी,



(सतीश शर्मा )

प्रशासनिक अधिकारी

कृते उपमहानिदेशक (अभि.)